



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276463
CG-DL-E-24092026-276463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5019]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5019]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5226(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४६१ब के कि.मी. ९४+७५० से कि.मी. १०१+५३० (नर्सी फाटा से एन एच १६१) (हिंगोली भाग), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी हिंगोली को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४६१ब के कि.मी. ९४+७५० से कि.मी. १०१+५३० (नर्सी फाटा से एन एच १६१) (हिंगोली भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: हिंगोली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हिंगोली					
गांव का नाम: हिंगोली					
1	103	सरकारी	कृषीक	0.1673 (हेक्टेयर)	0.1673
2	104	निजी	कृषीक	0.4501 (हेक्टेयर)	0.4501
3	105	निजी	कृषीक	0.2723 (हेक्टेयर)	0.2723
4	107	निजी	कृषीक	0.4176 (हेक्टेयर)	0.4176
5	108	निजी	अकृषीक	0.1306 (हेक्टेयर)	0.1306
6	147	निजी	कृषीक	0.1289 (हेक्टेयर)	0.1289
7	148	सरकारी	कृषीक	0.0155 (हेक्टेयर)	0.0155
8	200	निजी	कृषीक	0.0411 (हेक्टेयर)	0.0411
9	205	निजी	कृषीक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
10	207	सरकारी	कृषीक	0.0106 (हेक्टेयर)	0.0106
11	208	सामान्य	कृषीक	0.0671 (हेक्टेयर)	0.0671
12	Railway	सरकारी	रेल्वे	0.2612 (हेक्टेयर)	0.2612
13	River	सरकारी	नदी	0.0436 (हेक्टेयर)	0.0436
Total					2.0959

[फा. सं. RW/NH-12014/16/2026-MAH/ZONE-WEST/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5226(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Building (widening, four laning, etc) maintenance, management and operation of National Highway No. 461B in the stretch of land from Km. 94+750 to Km 101+530 (Narsi Phata To NH 161) (Hingoli Section) in the district of Hingoli in the state of Maharashtra

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer Hingoli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway No. 461B within the stretch of the land from Km. 94+750 to Km 101+530 (Narsi Phata To NH 161) (Hingoli Section) in the district of Hingoli in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: HINGOLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hingoli					
Village: Hingoli					
1	103	Government	Agricultural	0.1673 (Hectare)	0.1673
2	104	Private	Agricultural	0.4501 (Hectare)	0.4501
3	105	Private	Agricultural	0.2723 (Hectare)	0.2723
4	107	Private	Agricultural	0.4176 (Hectare)	0.4176
5	108	Private	Non-Agricultural	0.1306 (Hectare)	0.1306
6	147	Private	Agricultural	0.1289 (Hectare)	0.1289

7	148	Government	Agricultural	0.0155 (Hectare)	0.0155
8	200	Private	Agricultural	0.0411 (Hectare)	0.0411
9	205	Private	Agricultural	0.09 (Hectare)	0.09
10	207	Government	Agricultural	0.0106 (Hectare)	0.0106
11	208	Common	Agricultural	0.0671 (Hectare)	0.0671
12	Railway	Government	Railway	0.2612 (Hectare)	0.2612
13	River	Government	River	0.0436 (Hectare)	0.0436
Total					2.0959

[F. No. RW/NH-12014/16/2026-MAH/ZONE-WEST/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director